□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□ज□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□: 1210
02 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध □□□□ि□□ं □□□ □□ं □□ □□□□क्ष□

1210. श्र□ □□□□ ि□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री □□ □□□□□□ो □□□ □□□□ि□□

(□) क□□ □□ □□ □□ि□ □□ष□□□ □□□□ योजना के अंतगत सूचीबद्ध 10 करोड़ लाभार्थी □ि□□□□ं □□ □□□□□□□-□ि□□ □□ □□□□□□ □□□□□□, 2011 □□□ □□ □□ □□□□□ ि□□□ □□;

(□) क□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ ज्यादा लाभार्थियों/परिवारों को मुफ्त और पारदर्शी □□□□□□□ स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए और लोगों को शामिल करने हेतु वष 2011 के आंकड़ों □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □;□

(□) □ि□ □□,□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ लोगों को शामिल करने हेतु किए ग□ □□□□ं □□ ब्यौरा क्या है; □□

(□) □ि□ □□ं, तो ज्यादा परिवारों को शामिल □□ं □□□□□क□□ □□□□ □?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज□ □त्र□ (श्र□ □श्वि□□ □□□□ □□□)□

(□): □□ष□□□ □□□□- स्वास्थ्य एवं आरोग्य कद्रों के तहत सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध ह।

□□ष□□□ □□□□- प्र□□□□त्र□ □□-□□□ग□ □□□□□ (□□□-पीएमजेएवाई) सामाजिक आथिक जाति आधारित □□□□□□ (□□□□□□□) 2011 □□□□□□□ □□□□ 10.74 □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ि□□□□ं □□□□ए स्वास्थ्य □□□□ □□□□ब□ □□□□□ □□राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतगत ऐसे सभी लाभार्थी परिवारों को भी इस योजना के अंतगत लाभों के लिए पात्र माना गया है जो एसईसीसी आंकड़ों के अनुसार लक्षित समूहों म सम्मिलित नहीं किए जाते।

(□) □□(□): □□□-□□□□□□□□□□ □□□□□□, एसईसीसी डाटाबेस म पहले से सम्मिलित लाभार्थी परिवारों म किसी छूटे हुए पारिवारिक सदस्य को सम्मिलित किए जाने को □□□□□ □□□□□□□ ि□□□□□ □□□-□□□□□□□□□□ के कवरेज का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****